

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 482 सन 2021

अनवान :-

1. विजयसिंह पुत्र कृष्ण जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. कृष्ण पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. रायसिंह पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. साहबराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. प्रभूदयाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. सुरेश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. राजवीर पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. अमन पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. गुडडी पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. राजा पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. सुनीता पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. सुमन पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. कविता पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थित : श्री रोहितसिंह अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 132/135 की कुल 13.2660 हैक् में से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 131/134 की कुल 7.2340 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज नानुराम की नोटोड करदा भूमि नानुराम नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज नानुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज नानुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें नानुराम के वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 9, 10 वादी की बुआ एवं बुधराम की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा / बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज नानुराम की नोटोड करदा भूमि है नानुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता /भूतिजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 132/135 की कुल 13.2660 हैक् में से 1/2 हिस्सा , खाता संख्या 131/134 की कुल 7.2340 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज नानुराम की नोटोड करदा भूमि नानुराम नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज नानुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज नानुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें नानुराम के वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 9 ,10 वादी की बुआ एवं बुधराम की पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा /बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्डाधिकारी (रजिस्टर)
जोधपुर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 132/135 की कुल 13.2660 हैक में से 1/2 हिस्सा , खाता संख्या 131/134 की कुल 7.2340 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग एवं उससे पूर्व की जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि बुधराम के पुर्वज नानुराम की नोटोड करदा भूमि है अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बुधराम के पुर्वज के नाम से दर्ज है वादी के दादा नानुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 132/135 की कुल 13.2660 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 1/8 हिस्सा , एव प्रतिवादीगण संख्या 7 ,8 बहिब 1/8 हिस्सा, तथा, खाता संख्या 131/134 की कुल 7.2340 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विजयसिंह पुत्र कृष्ण जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. कृष्ण पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. रायसिंह पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. साहबराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. प्रभूदयाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. सुरेश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. राजवीर पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. अमन पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. गुडडी पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. राजा पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. सुनीता पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. सुमन पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. कविता पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 482 सन 2021 निर्णय दिनांक-07/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 132/135 की कुल 13.2660 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 1/8 हिस्सा, एव प्रतिवादीगण संख्या 7, 8 बहिब 1/8 हिस्सा, तथा, खाता संख्या 131/134 की कुल 7.2340 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिब 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

नोहर कोड नं. 16296